

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/41
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00040
CICOM/R/2016/00063

दिनांक: 21.06.2016

अपीलकर्ता : श्री विनोद विजुभाई चावड़ा,
कमरा सं. 195, सेक्टर-6, गांधीधाम,
कच्छ, गुजरात - 370201.
निर्णय की तारीख : 21.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.12.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	13.01.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.01.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	108892/27.01.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	47/28.01.2016

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 16.12.2015 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर कुल 6 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2016 को प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु हमेशा उक्त मोबाइल नं. बंद मिला जिसके कारण अपीलकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया। अतः संचिका में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।
3. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।
4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण प्रथम अपील के निपटान में हुए विलंब के लिए खेद है।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि : 02/08/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

